

नहाय खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व शुरू

● सोमवार को उत्तर सूर्य को अर्च देने के बाद संपन्न होगा

पार्यनिकर समाचार सेवा। गाजियाबाद

सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा पर्व नहाय खाय के साथ शुरू हुआ। चार दिन तक चलने वाला लोक आस्था का वह महापर्व सोमवार को उत्तर सूर्य को अर्च देने के बाद संपन्न होगा। छठ के पहले दिन ब्रतियों ने स्नान करने के उपरांत सूर्य को जल अपार्ण कर अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर उसे ग्रहण किया और परिणीतों में प्रसाद का वितरण कर त्राव का संकल्प लिया।

पहले दिन ब्रती इस प्रसाद को वितरण कर अपने शरीर को सालिक और पवित्र बनाते हैं। दूसरे दिन निर्जला उपवास के बाद गुड़ की खीर के साथ रोटी ग्रहण करते हैं। इससे ब्रती का शरीर पूरी तरह से सालिक हो जाता है। फिर उसी रिति 36 में थ्रेट का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है और अस्ताचलगामी सूर्य और उदयमान सूर्य को अर्च देते हैं। 18 नवंबर शनिवार को खराना के साथ ब्रती 36



हिंडन नदी के किनारे बने छठ घाट श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह तैयार।

घंटे के उपासना की शुरूआत करेंगे। 19 नवंबर आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका रविवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को इंतजार करते हैं। अर्च देंगे और 20 नवंबर सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्च देने के साथ छठ का प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख, समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए समाप्त हो जाता है। छठ पूजा का प्रसाद रखने के क्रांति के साथ छठी माझ की पूजा, उपासना विधि-विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन क्रती व्रतों में से एक माना जाता है। इस पर्व में कालश, दो बड़ी टोकरी, पूजा शाली, दीपक, खाजा, गुजिया, गुड़, दूध से बड़ी मिर्गियां, लड्डू, दूध, जल, शहद, गंगाजल, चंदन, धूपबत्ती, चावल, सिंदूर, कुमकुम, नारियल, कलावा, कपूर, मिठ्ठी के दो, तेल और बाती, सुपारी, फूल, पाच परी लगे हुए गन्ने, केले, सिंचाडा, त्रुटफल, सुधनी, शरकदी, अनाज, गेहूं, चावल, आटा आदि का इस्तमाल किया जाता है।

प्रति उपासना की शुरूआत करने के लिए उपासना का वितरण करते हैं। इससे ब्रती का शरीर पूरी तरह से सालिक हो जाता है। इस पर्व में भावना सूर्य के लिए उपासना का प्रतिष्ठान करते हैं। उपरांत शुरू हो जाता है और अस्ताचलगामी सूर्य और उदयमान सूर्य को अर्च देते हैं। 18 नवंबर शनिवार को खराना के साथ ब्रती 36

नगर आयुक्त ने किया

छठ घाट का निरीक्षण

गाजियाबाद। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक को अधिकारियों के साथ मिलकर हिंडन छठ घाट का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त के साथ निर्माण वाहन के चीफ इंजिनियर एके चौथी वेल्थ अफ रस डॉ. मिथिलेश कुमार आदि अधिकारी मोर्चा रहे। नगर आयुक्त ने छठ घाट का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही साफ-फाफई आदि के लिए भी बंदीबस्त को देखा। आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वह पूजा अर्चना के दौरान जरूरी तरह की व्यवस्था बनाकर रखे।

का कलश, दो बड़ी टोकरी, पूजा शाली, दीपक, खाजा, गुजिया, गुड़, दूध से बड़ी मिर्गियां, लड्डू, दूध, जल, शहद, गंगाजल, चंदन, धूपबत्ती, चावल, सिंदूर, कुमकुम, नारियल, कलावा, कपूर, मिठ्ठी के दो, तेल और बाती, सुपारी, फूल, पाच परी लगे हुए गन्ने, केले, सिंचाडा, त्रुटफल, सुधनी, शरकदी, अनाज, गेहूं, चावल, आटा आदि का इस्तमाल किया जाता है।

हिंडन नदी में छठ पूजा स्नान पर रोक से इनकार

गाजियाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में प्रदूषित हिंडन नदी में छठ पूजा पर स्नान करने से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचारी में देवी कर दी। छठ पूजा में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसलिए जनहित याचारिका पर इतनी जल्दी सुनवाई नहीं हो सकती। दरअसल, गाजियाबाद में प्राचीन शनिवार मार्द गंगा घाट के महंत मुकेश गोविमी ने जनहित याचारिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। याचारी के अधिकारी अनिल न्यू कुमार तिवारी ने हाईकोर्ट को बताया कि गाजियाबाद में हिंडन नदी प्रदूषित है। लोग स्नान करने में देवी कर दी। इससे संक्रमक बीमारी फैलने की आशंका है। याचारी ने दिल्ली में यमुना नदी में छठ पूजा होने पर भी लोकर का हवाला दिया और ऐसी ही रोक गाजियाबाद में भी लोगों की मांग की। मुख्य न्यायमूर्ति प्रतिक्रियांकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशोषो श्रीवास्तव की खंडपीट ने इस याचारिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए शुक्रवार को इसे कर दिया है।

नोएडा पुलिस ने काटे 10 हजार गाड़ियों के चालान

पार्यनिकर समाचार सेवा। नोएडा



लोगों का चालान किया गया। नोएडा पुलिस की ओर से बैटर को दोहरी चालान 367 लोगों का, तोन सवारी बैटर को दोहरी चालान 58 लोगों का, और सोलां मीडिया मंच एक्स पर साझा की गई जानकारी के मुालिक, करीब 5200 ई-चालान जारी किए गए हैं।

सांकेतिक कब्जे की सूचना

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005.

जबकि अधिकारीसाक्षी ने विशेष परिसंपत्तियों के प्रतिशुभिकल्पणा एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रतिशुभिकल्पणा के लाए में तथा प्रतिभूमि हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ परिवर्ती धारा 13(2) के अधीन प्रत्यन्त शतियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कालदौरी को मांग सुनवाई निर्माणित की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित पार्श्व का प्रतियोगिता करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह-कर्जदार/जनानदार दरायी का प्रतियोगिता करने में विपल रहे हैं, अपरांत रसायन द्वारा दराया एवं जनसाधारण को सूखित किया जाता है जो कि अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतदा द्वारा विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए संचरित किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित शब्दों तथा उस पर अगे व्याप्त हुए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होता।

सांप और जहर की तरह करते हैं।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल कुमार यादव ने बताया कि यातायात माह के अंतर्गत शतियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कालदौरी को मांग सुनवाई निर्माणित की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित पार्श्व का प्रतियोगिता करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह-कर्जदार/जनानदार दरायी का प्रतियोगिता करने में विपल रहे हैं, अपरांत रसायन द्वारा दराया एवं जनसाधारण को सूखित किया जाता है जो कि अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतदा द्वारा विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए संचरित किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित शब्दों तथा उस पर अगे व्याप्त हुए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होता।

उपरांत दराये गए कर्जदार/सह-कर्जदार एवं जनानदारों को सूखित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अर्थात् 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 प्रतिभूमि हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : नवंबर 18, 2023
स्थान : दिल्ली / एनसीआर

प्राप्तिकर्ता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

सांकेतिक कब्जे की सूचना

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005.

जबकि अधिकारीसाक्षी ने विशेष परिसंपत्तियों के प्रतिशुभिकल्पणा एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रतिशुभिकल्पणा के लाए में तथा प्रतिभूमि हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ परिवर्ती धारा 13(2) के अधीन प्रत्यन्त शतियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कालदौरी को मांग सुनवाई निर्माणित की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित पार्श्व का प्रतियोगिता करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह-कर्जदार/जनानदार दरायी का प्रतियोगिता करने में विपल रहे हैं, अपरांत रसायन द्वारा दराया एवं जनसाधारण को सूखित किया जाता है जो कि अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतदा द्वारा विशेष रूप से कर